भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2256

दिनांक 01 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

चिकित्सक-जनसंख्या अनुपात

†2256. श्री सुधाकर सिंहः
डॉ. राजेश मिश्राः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में चिकित्सक-जनसंख्या अनुपात का मध्य प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और बिहार के सम्बन्ध में ज़िला-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार द्वारा देश में चिकित्सक जनसंख्या अनुपात में सुधार के लिए बिहार राज्य सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कोई कदम उठाए गए हैं;
(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चिकित्सकों की कमी को पूरा करने/दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं;
(घ) क्या सरकार एमबीबीएस चिकित्सकों के लिए देश के ग्रामीण क्षेत्रों में तीन साल तक काम करना अनिवार्य करने की योजना बना रही है; और
(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ङ): राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, देश में 13,86,157 पंजीकृत एलोपैथिक डॉक्टर हैं। आयुष मंत्रालय ने बताया है कि आयुष चिकित्सा पद्धति में 7,51,768 पंजीकृत चिकित्सक हैं। यह मानते हुए कि एलोपैथिक और आयुष दोनों प्रणालियों में 80% पंजीकृत चिकित्सक उपलब्ध हैं, देश में डॉक्टर-जनसंख्या अनुपात 1:811 होने का अनुमान है।

देश में चिकित्सा पेशेवरों की कमी को दूर करने के लिए सरकार निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित कर रही है:
i. जिला/रेफरल अस्पतालों को उन्नत करके नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु केंद्र प्रायोजित योजना, जिसके अंतर्गत स्वीकृत 157 मेडिकल कॉलेजों में से 131 नए मेडिकल कॉलेज कार्यरत हैं।

ii. एमबीबीएस और पीजी सीटों में वृद्धि हेतु राज्य सरकार/केंद्र सरकार के मौजूदा मेडिकल कॉलेजों के सुदृढ़ीकरण/उन्नयन हेतु केंद्र प्रायोजित योजना।

iii. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) का एक घटक "सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक/ट्रॉमा केयर सेंटर आदि के निर्माण द्वारा सरकारी मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन" से संबंधित है। इस घटक के अंतर्गत 75 परियोजनाओं में से 71 परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं। दूसरा घटक नए एम्स की स्थापना के लिए है, 22 एम्स को मंजूरी दी जा चुकी है।

ग्रामीण आबादी को समान स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए, परिवार दत्तक ग्रहण कार्यक्रम (एफएपी) को एमबीबीएस पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। एफएपी के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज गाँवों को गोद लेते हैं और एमबीबीएस छात्र इन गाँवों के परिवारों को गोद लेते हैं। इससे गोद लिए गए परिवारों का टीकाकरण, विकास निगरानी, मासिक धर्म स्वच्छता, आयरन और फोलिक एसिड (आईएफए) अनुपूरण, स्वस्थ जीवनशैली, पोषण, वेक्टर नियंत्रण और दवा सेवन संबंधी नियमित फॉलोअप संभव हो पाती है। यह परिवारों को चल रहे सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बारे में शिक्षित करने में भी मदद करता है। इसके अलावा, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) द्वारा अधिसूचित जिला निवास कार्यक्रम (डीआरपी) पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में जिला अस्पतालों में स्नातकोत्तर मेडिकल छात्रों के लिए तीन महीने की अनिवार्य पोस्टिंग सह प्रशिक्षण का प्रावधान करता है। डीआरपी ग्रामीण और अल्पसेवित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी को मज़बूत करके जनता को लाभान्वित करता है।

*****